

an&gt;

Title: Papers laid on the Table of the House by Ministers/Members.

**माननीय सभापति :** अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे । आइटम नंबर 2 से 7.

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ।

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** सभापति महोदय, श्री प्रहलाद जोशी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
  - (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।
  - (दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 4389/17/21]

- (2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
  - (एक) खान और खनिज (जिला खनिज फाउंडेशन में अभिदाय) संशोधन नियम, 2021 जो 25 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 437(अ) में प्रकाशित हुए थे ।
  - (दो) खनिज (आण्विक और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) छूट (संशोधन) नियम, 2021 जो 24 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना सं. सा.का.नि. 209(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) खनिज (आण्विक और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) छूट (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 10 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 397(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) खनिज (बोली) संशोधन नियम, 2021 जो 17 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 195(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) खनिज (आण्विक और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) छूट (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 8 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 254(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(छह) खनिज (बोली) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो 18 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 422(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) संशोधन नियम, 2021 जो 18 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 421(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) सा.का.नि. 425 (अ) जो 22 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ हुत्ती गोल्ड माइंस कंपनी लिमिटेड, कर्नाटक को अधिसूचित करना है ।

(नौ) सा.का.नि. 438 (अ) जो 25 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जून, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 516(अ) को निरस्त किया गया है ।

(दस) सा.का.नि. 399 (अ) जो 11 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा, उसमें उल्लिखित, क्षेत्र को 1144.06.18 हैक्टेयर विस्तार तक कन्याकुमारी जिले में तटीय बालू

खनिजों के लिए मैसर्स आईआरईएल(इंडिया) लिमिटेड के पक्ष में आरक्षित किया गया है ।

[Placed in Library, See No. LT 4390/17/21]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** सभापति महोदय, डॉ. जितेन्द्र सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[Placed in Library, See No. LT 4391/17/21]

(2) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4392/17/21]

(3) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 464(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2021 जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 465(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 4393/17/21]

(4) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के खण्ड (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2021 जो 7 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 10(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 11 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 398(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[Placed in Library, See No. LT 4394/17/21]

(5) (एक) सिविल सेवा अधिकारी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक

प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) सिविल सेवा अधिकारी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4395/17/21]

(7) (एक) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित

लेखे ।

(दो) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4396/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री दानवे रावसाहेब दादाराव जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

(1) (एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4397/17/21]

(3) रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उप-धारा (3) के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 2021 जो 20 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 500(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4398/17/21]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** सभापति महोदय, श्री सोम प्रकाश जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।  
(दो) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4399/17/21]

- (2) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 78 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) नियम, 2021 जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 225(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 4400/17/21]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** सभापति महोदय, एडवोकेट अजय भट्ट जी की ओर से,

मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.नि.आ. 15 जो 27 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह संघ राज्य-क्षेत्र में सेवा या ड्यूटी नौसेना अधिनियम, 1957 के प्रयोजनार्थ और उसके अर्थ के अंतर्गत 13 जनवरी 2020 से पांच वर्षों की अवधि के लिए 'सक्रिय सेवा' होगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[Placed in Library, See No. LT 4401/17/21]

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) :** सभापति महोदय, श्री देवुसिंह चौहान जी की ओर से, मैं वर्ष 2021-2022 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[Placed in Library, See No. LT 4402/17/21]

... (व्यवधान)

**12.02 hrs**